6/2/18 वकील प्रार्थी उप

श्री आज अधिवक्ता [illegible] 07/18 पेश करें पेश करें [illegible] प्रार्थी हैं सीमा [illegible] 27/2/18 को पेश

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

27/2 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11/4/2018 पेश

21/3/18 वकील प्रार्थी उप

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण के तथ्य के अनुसार ही गाड़ी को गाड़ी रिकॉर्ड बाधित किया गया है प्रमाण पत्र को गाड़ी रिकॉर्ड बाधित करने वकील प्रार्थी के द्वारा प्रमाण पत्र तक की गाड़ी प्रकरण के अनुसार होने से अर्जी पत्र गाड़ी रिकॉर्ड बाधित किया जाता है। अतिम आदेश के लिए पत्रावली पेश करें।

निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official